कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/व0अ0/सी.म./2011–12 दिनांक 21.12.2016 एवं 03.01.2017 के द्वारा मण्डल आवंटित अभ्यर्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी, हिन्दी, सा0विज्ञान) के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.2(9300–34800) ग्रेड पे–4200 के पद पर चयनोपरांत अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न आदेश संख्या 01 से 03 के अनुसार इन अभ्यर्थियों को द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप मे नियुक्ति प्रदान की जाकर परामर्श कैम्प दिनांक 12.01.2017 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैं। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सपादित करेंगे।

1. इनकी पात्रता एवं इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक ,आयु,जाति,आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सबंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। पूर्व में राजकीय सेवामें सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगें।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है ,अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से 10/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
6. आपके स्तर पर यह भी जॉच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि

(अ) अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि

२०७

Scanned by CamScanner

"अपवर्जन का नियम" इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति किमीलेयर का नहीं है, तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए. यदि कोई अभ्यर्थी किमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवावें।

(ब) अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परंतु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जोकि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा देवें।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
8. जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड II (मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा 2011 के प्रकरण में विशेष अनुमति याचिका संख्या 18888-67/2013 रामदेव अग्रवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग व अन्य के साथ समेकित निर्णय दिनांक 11.11.2014 एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगी।

संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगें। इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 25.01.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज अथवा सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

क्रमांक : शिउनि/मा/जय/संस्था-2/फा-व0अ0/सी.भ.2011/28/2016 दिनांक : 12.01.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/ व.अ./सी.भ./2011-12 दिनांक 21.12.2016 एवं 03.01.2017 के सन्दर्भ में।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) जयपुर/अलवर/दौसा
6. सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
7. सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्तानुसार एवं समय-समय राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश-निर्देश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित आशार्थी
9. रक्षित पत्रावली

उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

आदेश संख्या – 1

क्र.स.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम मय स्थायी पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (मावि / बामावि)	जिला	विद्यमान वेतन / नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7		8
1	1028	BC	राकेश कुमार सैनी / सीताराम सैनी बी–109 नीलगिरी कॉलोनी अनाज मण्डी के पास रोड न 09 बी.के.आई. एरिया जयपुर	05/09/1984	OBCM	नटाटा, जमवारामगढ	जयपुर	नियत पारिश्रमिक
2	1111	BC	सुरेश चन्द जाट / सुण्डाराम जाट ग्राम जुगलपुरा पो0 सांवलपुरा तंवरान वाया झाडली तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर	25/06/1983	OBCM	बा0 बांसखोह, बस्सी	जयपुर	विद्यमान वेतन
3	1116	BC	अत्तर सिंह जाखड / हनुमान प्रसाद जाखड ग्राम पो. रामसिंहपुरा तह. कोटपुतली जिला जयपुर	05/08/1989	OBCM	बिलोद, जमवारामगढ	जयपुर	विद्यमान वेतन
4	1132	BC	कमलेश कुमार कुमावत / महावीर प्रसाद कुमावत केशवनगर (ढण्ड की ढाणी) पचार तह. दांतारामगढ सीकर	06/02/1983	OBCM	बा0 नरायणा, दूदू	जयपुर	विद्यमान वेतन

(रतन सिंह यादव)
उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी)

आदेश संख्या – 2

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम मय स्थायी पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला	विद्यमान वेतन /नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7		8
1	1541	SB,WE	सन्तोष गुर्जर/जगदीश नारायण ग्राम इन्द्रगढ तह. जमवारामगढ वाया लालवास सीआरपीएफ कैम्प जिला जयपुर	09/08/1982	SBCF	आकोदा, दूदू	जयपुर	विद्यमान वेतन

(रतन सिंह यादव)
उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान)

आदेश संख्या – 3

क्र.स.	मेरिट कमांक	वर्ग	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम मय स्थायी पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला	विद्यमान वेतन /नियत पारिश्रमिक
1	2	3	4	5	6	7		8
1	1587	ST	अशोक कुमार मीणा/ रामावतार मीना ग्राम ढेल्डा की ढाणी पो. बनेठी तह. कोटपुतली जिला जयपुर	20/02/1980	STM	खिजूरिया ब्रह्मणान, बस्सी	जयपुर	विद्यमान वेतन
2	1630	SC	कौशल प्रसाद/ हरिकिशन ग्राम दौहली पो. खिलौरा तह. रामगढ जिला अलवर	08/03/1979	SCM	सांथलका, तिजारा	अलवर	विद्यमान वेतन

(रतन सिंह यादव)
उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
जयपुर सम्भाग, जयपुर

Scanned by CamScanner